संख्या–3ए 3–भत्ता–01/2021–../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

व० उप-महालेखाकार (पेंशन/निधि)
पटना का कार्यालय
डायरी सं० T2 182
दिनांक 22/11/21

संकल्प

पटना, दिनांक–........

विषयः– दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/2020-E-II(B), दिनांक–23.04.2020 द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2020, दिनांक–01.07.2020 एवं दिनांक–01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान नही किये जाने तथा दिनांक–30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महँगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/2020-E-II(B), दिनांक–20.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महँगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक–01.07.2021 से प्रभावी है। महँगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक–01.01.2020 से 4%, दिनांक–01.07.2020 से 3% एवं दिनांक–01.01.2021 से 4% की वैचारिक वर्धित दर समाहित है। तदनुसार में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनाक–01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।

AAO/Pen-I
Immediate

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महँगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतेय सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महँगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि मे सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर का लाभ नही मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(5)/E-V/2020, दिनांक–07.09.2021 द्वारा जनवरी–2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनाक–01.01.2020 से 21%, दिनांक–01.07.2020 से 24% एवं दिनांक–01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महँगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. **अतः सम्यक् विचारोपरान्त** दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :–

सेवानिवृत्ति की अवधि	परिकलन हेतु महँगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2020	मूल वेतन का 21%
दिनांक–01.07.2020 से 31.12.2020	मूल वेतन का 24%
दिनांक–01.01.2021 से 30.06.2021	मूल वेतन का 28%

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2021–__________/**वि०** पटना, दिनांकः–__________

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2021–__________/**वि०** पटना, दिनांकः–__________

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।